न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–332/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/332)

1. श्रीमती सायरी पत्नी स्व0 श्री मिठ्ठनलाल, जाति नट
2. मनमोहन पुत्र स्व0 श्री मिठ्ठनलाल, जाति नट
3. ज्ञानेश्वर पुत्र स्व0 श्री मिठ्ठनलाल, जाति नट
4. पूनम चंद पुत्र स्व0 श्री मिठ्ठनलाल, जाति नट
   समस्त निवासी ग्राम कडेल तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
5. श्रीमती संजू पुत्री स्व0 श्री मिठ्ठनलाल, पत्नी श्री जगदीश, जाति नट कूल निवास ग्राम कडेल तहसील पुष्कर हाल निवास शोकलिया तहसील टांटोती जिला अजमेर।
   समस्त जरिए मुख्त्यारआम श्री दिलीप पुत्र सोहनलाल जाति खटीक निवासी–अम्बेडकर कॉलोनी, बडी वस्ती पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. कल्याण पुत्र श्री श्रवण जाति भाम्वी निवासी विपासना आश्रम के सामने, रेवत तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
2. श्री अभयराज सिंह पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह पौत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कडेल तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
3. श्रीमती सीता कंवर पत्नी स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह पुत्रवधु स्व0 श्री हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी कडेल तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पुष्कर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.09.2022 राजस्व वाद संख्या 28/2021

उपस्थितः–

1. श्री, नौरतमल जैन अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री, महेन्द्रसिंह चौहान,अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 04.
4. रेस्पोडेंट संख्या 02, 03 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः– 21.02.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 28/2021 में पारित आदेश दिनांक 16.09.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चौसाला खसरा नम्बर 1209 में से रकबा 00–10–10 के वर्किंग खसरा नम्बर 1400 में से रकबा 00–10–00 के वर्तमान खसरा नम्बर 810/163 रकबा 1.5200 में से रकबा 00–10–10 किस्म चाही 3 ग्राम रेवत तहसील पुष्कर स्थित भूमि के संदर्भ में वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 91, 92ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया, वाद पत्र के साथ आवेदन पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रकरण संख्या 28/2021 भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश जो कि अधीनस्थ न्यायालय की प्रकरण संख्या 28/2021 की पत्रावली पर प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत यह उल्लेख किया गया कि विवादित भूमि जो कि अपीलार्थीगण/वादीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि है, जिसके खातेदार घोषित किया जावे बाबत् वादपत्र भी प्रस्तुत किया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण संख्या 28/2021 के पैरा संख्या 3, 4, व 06 में उल्लेखित अभिवन को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश इस आधार पर पारित किया गया है कि प्रकरण में विवादित भूमि के बाबत् स्पष्ट ही नहीं किया के आधार पर एवं साथ ही विवादित भूमि के खातेदार अपीलार्थीगण नहीं होने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निरस्त किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की गई है। जबकि विधि के सुस्थापित सिद्धान्त के अनुसार मूल वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि की सुरक्ष हेतु एवं बेवजह विवाद बढ़ने की रोक हेतु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जारी की अंतिम निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाना चाहिए था।इस कारण अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 28/2021 में पारित आदेश दिनांक 16.09.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 02, 03 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि चौसाला खसरा नम्बर 1209 के सहहिस्सेदार खातेदार हुनमान पुत्र हरिसिंह 1/4 हिस्सा बीरबल पुत्र बलवंत सिंह 1/4 हिस्सा बीजू सिंह पुत्र सांवत सिंह 1/4 हिस्सा पाबूदान सिंह पुत्र माधोसिंह 1/8 हिस्सा किशन सिंह पुत्र बलवंत सिंह 1/8 हिस्सा दर्ज है चौसाला जमाबदी के अनुसार चौसाला खसरा नम्बर 1209 के 1/4 हिस्सा के खातेदार हुनमान सिंह दर्ज है तथा चौसाला जमाबदी के सहहिस्सेदार बीरबल पुत्र बलवंत सिंह का 1/4 हिस्सा, पाबूदान सिंह पुत्र माधौसिक का 1/8 हिस्सा एवं किशरन सिंह पुत्र बलवंत सिंह का 1/8 हिस्सा की भूमि को यानि 1/2 हिस्सा की भूमि को जरिए पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 09.06.1972 के अनुसार हनुमान सिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत के द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया इस प्रकार चौसाला खसरा नम्बर 1209 के कुल क्षेत्रफल में से 3/4 हिस्सा यानि क्षेत्रफल के सहहिस्सेदार खातेदार हनुमान पुत्र हरिसिंह की रही श्री हनुमान सिंह पुत्र हरिसिंह के द्वारा जरिए पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 15.02.1977 को मिठ्ठान लाल पुत्र भागीरथ जाति नट को 10 बीघा भूमि का

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

बेचान कर कब्जा सम्भला दिया गया तथा हनुमान सिंह पुत्र हरिसिंह के पास मिठ्ठनलाल को 10 बीघा भूमि का बेचान किए जाने के पश्चात की भूमि का ही खातेदार रहा, चौसाला खसरा नम्बर 1209 में से क्षेत्रफल की भूमि ही हनुमान सिंह के पास रही हनुमान सिंह की भूमि ही बेचान किए जाने का अधिकार था, इस प्रकार विवादित भूमि जो कि अपीलार्थीगण को विरासत में प्राप्त हुई के खातेदार है, इस प्रकार हनुमान सिंह के द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जो बेचान किया गया प्रारम्भ से ही शून्य है अपीलार्थीगण अनूसूचित जाति के सदस्य की भूमि को अपीलार्थीगण के पति एवं पिता मिठ्ठनलाल नट की खरीदशुदा भूमि का ही भाग शेष है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अपीलार्थीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चौसाला खसरा नम्बर 1209 में से रकबा 00–10–10 के वर्किंग खसरा नम्बर 1400 में से रकबा 00–10–00 के वर्तमान खसरा नम्बर 810/163 रकबा 1.5200 में से रकबा 00–10–10 किस्म चाही 3 ग्राम रेवत तहसील पुष्कर स्थित भूमि के संदर्भ में वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 91, 92ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया, वाद–पत्र के साथ आवेदन पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रकरण संख्या 28/2021 भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश जो कि अधीनस्थ न्यायालय की प्रकरण संख्या 28/2021 की पत्रावली पर प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत यह उल्लेख किया गया कि विवादित भूमि जो कि अपीलार्थीगण/वादीगण की पुश्तैनी कृषि भूमि है, जिसके खातेदार घोषित किया जावे, वादपत्र भी प्रस्तुत किया गया। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश इस आधार पर पारित कर दिया गया कि प्रकरण में विवादित भूमि के बाबत स्पष्ट ही नही किया के आधार पर एवं साथ ही विवादित भूमि के बाबत स्पष्ट ही नहीं किया के आधार पर एवं साथ ही विवादित भूमि के खातेदार अपीलार्थीगण नहीं होने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 निरस्त कर दिया जबकि मूल वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि की सुरक्षा हेतु एवं बेवजह विवाद बढ़ने की रोक हेतु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जारी की गई अंतिम निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रकरण अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का जवाब ही प्रस्तुत नहीं किया गया, आवेदनकर्तागण के द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र का खण्डन ही नहीं किया गया। धारा 212 के तीन मुख्य घटक सुविधा का संतुलन, प्रथम दृष्टया, एवं बेवजह विवाद की रोक कि इस संदर्भ में अपीलाधीन आदेश में तीनों मुख्य घटक का विस्तृत रूप से निर्णित ही नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का भी अपीलाधीन आदेश में किसी भी प्रकार से विवेचन ही नहीं किया गया। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 28/2021 में पारित आदेश दिनांक 16.09.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील जवाब/बहस में कथन किया कि वर्तमान जमाबंदी में रेस्पोडेंट सख्या 1 खातेदार/ काश्तकार

Scanned with CamScanner

दर्ज है तथा रेस्पोडेंट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कि जा सकती है तथा यह भी कथन किया कि रेस्पोडेंट द्वारा जरिए पंजीबद्ध विक्रय– पत्र खरीद की गई है जिसे किसी सक्षम न्यायालय में चुनौति नहीं दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा कहीं पर भी यह नहीं बताया गया है कि 00–10–10 बीघा भूमि किस प्रकार गलत बेचान की गई है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का रेकार्डेड खातेदार काश्तकार भी नही हैं इसलिए विधि अनुसार अप्रार्थी/रेस्पोडेन्टस को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा से पावंद नहीं करा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने समर्थन में आर.आर.टी.2013(1)पेज 134 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि चौसाला खसरा नम्बर 1209 18–19–0 के सह हिस्सेदार खातेदार हनुमान सिंह पुत्र हरि सिंह 1/4 हिस्से, बीरबल पुत्र बलवंत सिंह 1/4, बीजूसिंह पुत्र सांवत सिंह 1/4 पाबूदान सिंह पुत्र माधुसिंह 1/8, किशनसिंह पुत्र बलवंत सिंह 1/8 हिस्सा दर्ज थी इसमें से बीरबल सिंह ने 1/4 हिस्सा एवं पाबूदान सिंह ने 1/8 हिस्सा और किशनसिंह ने 1/8 हिस्सा यानि आधा हिस्से की भूमि जरिए पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 9.6.1972 को हनुमान सिंह पुत्र हरिसिंह को बैचान कर दी इस प्रकार हनुमान सिंह के पास चौसाला खसरा नम्बर 1209 रकबा 18–19–0 में 3/4 हिस्सा यानि 14 बीघा 4 बिस्वा 5 बिस्वांसी भूमि के खातेदार हुए इसमें से 10 बीघा भूमि दिनांक 5.2.1977 को मिठ्ठनलाल पुत्र भागीरथ जाति नट को बैचान कर कब्जा दे दिया गया परंतु राजस्व अधिकारीगण द्वारा मिठ्ठनलाल के पक्ष में 10 बीघा भूमि का नामांतकरण स्वीकृत न कर केवल मात्र 9–10–10 का ही नामांतकरण स्वीकृत किया गया जबकि पूर्ण 10 बीघा का नामांतकरण स्वीकृत किया जाना चाहिए था 10 बीघा भूमि जो मिठ्ठनलाल की खरीदशुदा भूमि थी तथा मिठ्ठनलाल अनुसूचित जाति का सदस्य रहा इस प्रकार हनुमान सिंह द्वारा पुनः 10 बीघा भूमि रेस्पोडेंटस संख्या 1 को विक्रय की गई इस विक्रयशुदा भूमि में मिठ्ठनलाल की जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य था 0–10–10 भूमि का खरीद अनुसार काश्तकार रहा उसको भी रेस्पोडेंट नम्बर 1 कल्याण सिंह को बैचान कर दी गई जबकि अनुसूचित जाति की भूमि को स्वर्ण जाति के व्यक्ति द्वारा ना तो बेची जा सकती है ना ही खरीदी जा सकती है। हनुमान सिंह द्वारा मिठ्ठनलाल की 0–10–10 भूमि का किया गया बैनामा धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के उल्लंघन में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्पूर्ण कानूनी बिंदु पर बिना विचार किए बिना रिकार्ड का सही विश्लेषण किए आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रकरण अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का जवाब ही प्रस्तुत नहीं किया गया, आवेदनकर्तागण के द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र का खण्डन ही नहीं किया गया। धारा 212 के तीन मुख्य घटक सुविधा का संतुलन, प्रथम दृष्टया, एवं बेवजह विवाद की रोक कि इस संदर्भ में अपीलाधीन आदेश में तीनों मुख्य घटक का विस्तृत रूप से निर्णित ही नहीं किया गया, जो विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है तथा निरस्त किए जाने

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

योग्य है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे अप्रार्थी/रेस्पोडेन्टस को 30 दिवस में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अवसर देते, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावे।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 28/2021 में पारित आदेश दिनांक 16.09.2022 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त किए गए विवेचन के अनुसरण में रेस्पोडेंट को 30 दिवस में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का एक अवसर देते हुए पुनः गुणावगुण पर आदेश पारित करें तब तक उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में अंकित विवादित आराजी के मौके व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाए रखेंगें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को निस्तारण हो जाने पर न्यायालय हाजा के द्वारा पारित आदेश निष्प्रभावी रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 21.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner